[This question paper contains 6 printed pages.]

Your Roll No. ....

9964 **B**

B.A. Prog./III

(T)

TAX PROCEDURE AND PRACTICE

Paper IV—Indirect Taxes—Central Excise & Customs

Time : 3 *Hours* *Maximum Marks* : 75

(*Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.*)

Note : Answers may be written *either* in English *or* in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी **या** हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt *Five* questions in all, selecting at least *two* questions from each Section.

All questions carry equal marks.

प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **दो** प्रश्न चुनते हुए, कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Section A (Central Excise)

(अनुभाग 'क') (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

1. Explain the following terms as used under the Central Excise Act : 5+5+5

(*i*) Assessee

(*ii*) Assessable Value

(*iii*) Taxable Event.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत यथाप्रयुक्त निम्नलिखित पदों को स्पष्ट कीजिए :

(*i*) निर्धारिती

(*ii*) निर्धारणीय मूल्य

(*iii*) करयोग्य घटना।

2. (*a*) Explain the difference between Non-Excisable goods and Nil-rated goods.

(*b*) "Excisable goods should be moveable and marketable." Explain. 7+8

(क) उत्पाद शुल्क न लगाने योग्य माल और दर शून्य माल में अंतर स्पष्ट कीजिए।

(ख) "उत्पाद शुल्क लगाने योग्य माल जंगम और विपणन योग्य होना चाहिए।" स्पष्ट कीजिए।

3. Explain the conditions for allowing CENVAT credit. 15

केन्द्रीय अतिरिक्त मूल्य कर उधार मंजूर करने की शर्तों को स्पष्ट कीजिए।

4. (*a*) Explain the penal provisions under the Central Excise Law if a manufacturer of excisable goods does not apply for registration.

   (*b*) Explain the provisions of Central Excise Act about "Related persons". 7+8

   (क) यदि कोई उत्पाद शुल्क लगाने योग्य माल का निर्माता रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं करता, तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि के तहत शास्तिक उपबंधों को स्पष्ट कीजिए।

   (ख) 'सम्बन्धित व्यक्तियों' के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के उपबंधों को स्पष्ट कीजिए।

5. (*a*) What are the situations when transaction value under Section 4 does not apply ?

   (*b*) Explain the provisions of Central Excise Act regarding "Special Audit". 7+8

   (क) धारा 4 के अन्तर्गत ऐसी कौनसी स्थितियाँ हैं जब संव्यवहार मूल्य लागू नहीं होता है?

   (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में 'विशेष अंकेक्षण' के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।

Section B (Customs Law)

(अनुभाग 'ख') (सीमा शुल्क विधि)

6. Discuss various types of duties levied under Customs Law. 15

सीमा शुल्क विधि के तहत लगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्कों का विवेचन कीजिए।

7. (*a*) Write a note on "project import" and mention eligible projects.

(*b*) Discuss the rules relating to import of personal baggage and cargo. 8+7

(क) 'परियोजना आयात' पर टिप्पणी लिखिए और पात्र (वांछनीय) परियोजनाओं का उल्लेख कीजिए।

(ख) व्यक्तिगत यात्री सामान और स्थोरा के आयात के सम्बन्ध में नियमों का विवेचन कीजिए।

8. What do you understand by "transaction value" of imported goods ? Outline the adjustments to be made in order to arrive at such valuation under the Customs Law. 15

आप आयातित माल के 'संव्यवहार मूल्य' से क्या समझते हैं? सीमा शुल्क विधि के तहत ऐसे मूल्यन तक पहुँचने के उद्देश्य से किए जाने वाले समायोजनों को रेखांकित कीजिए।

9. Explain the procedure for clearance of warehoused goods for home consumption. Discuss the circumstances under which goods are considered to have been removed improperly under the Customs Law. 15

घर के उपभोग के लिए भांडागारित माल की निकासी की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। उन परिस्थितियों का विवेचन कीजिए जिनमें माल की सीमा शुल्क विधि के तहत अनुचित रूप से निकासी समझी जा सकती है।

10. Write short notes on any *two* of the following : 7½+7½

(*i*) Custom area

(*ii*) Bill of Lading

(*iii*) Duty drawback

(*iv*) Foreign going vessel.

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(*i*) सीमा शुल्क क्षेत्र

(*ii*) लदान पत्र

(*iii*) शुल्क वापसी

(*iv*) विदेश जाने वाला जलयान।